

**झारखण्ड सरकार**  
**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**शुद्धि पत्र**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-21(20)ब योजना, दिनांक-26.03.2022 की कंडिका-7 में अंकित है कि:-

7	योजना पर होने वाले व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-46- खाद्य एवं औषधि कार्यालयों/लेब्रोरेट्रीज का विस्तार -01- औषधि और खाद्य नियंत्रण कार्यालयों और प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण-07-अन्य व्यय-54-एकमुश्त प्रावधान (विपत्र कोड-20एस 4210-01-200- 46-01-07-54) उपबंधित राशि से किया जाएगा।
---	--

इसे संशोधित रूप से निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7.1	योजना पर होने वाले व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-46- खाद्य एवं औषधि कार्यालयों/लेब्रोरेट्रीज का विस्तार -01- औषधि और खाद्य नियंत्रण कार्यालयों और प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण-07-अन्य व्यय-54-एकमुश्त प्रावधान (विपत्र कोड-20एस 4210-01-200- 46-01-07-54) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
7.2	योजना पर होने वाले व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-46- खाद्य एवं औषधि कार्यालयों/लेब्रोरेट्रीज का विस्तार -05- निर्माण -45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड-20एस 4210-01-200- 46-00-05-45) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

3. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-20/आयुष-बजट-07/2202(20)

राँची, दिनांक: 25/06/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक आयुष, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, राँची/सिविल सर्जन, राँची/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्युटर सहायक, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ध्रुव प्रसाद)  
उप सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)  
अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव